फर्द अहकाम

गोदा बनाम अधिशाषी अभियंता वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 6 /2022 वाद स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/2/22	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ से न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 16/3/22 को पेश हो। (रीडर)	
	16/3/22	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ से न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य Mi Court पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 29/3/22 को पेश हो। (रीडर)	
	29/3/22	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ से न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य Rojkida Kam है। पत्रावली गत [illegible] 30/3/22 को पेश हो। (रीडर)	
	30/3/22	पत्रावली आज पेश हुई उभय पक्ष के अभिभाषक बाजवाद पेश हो चुके हैं तथा रहमिसार आवेदक का भी बाजवाद पेश होना जाहिर किया गया है कि उभय पक्ष में सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा के बारे में बहस होना बताया है अतिरिक्त मौखिक बहस में यही जाहिर किया है कि अंतरिम स्थगन का ही अभिरक्षण किया जावेगा आज वादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं है अतः उभय पक्ष खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल होकर डायरिज दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	